बिहार सरकार

कृषि विभाग

पत्र संख्या–3/कृ0 बजट–आवंटन–27/2015–288(आवंटन) /कृ0, पटना, दिनांक 30-03-2016

प्रेषक,

प्रभु राम,
निदेशक प्रशासन–सह–अपर सचिव।

सेवा में,

मुख्य लेखा पदाधिकारी,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

विषय : **माननीय उच्च न्यायालय द्वारा LPA No-1210/2013 एवं अन्य समविषयक LPA में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में निर्गत कृषि विभागीय संकल्प संख्या–416 दिनांक–27.01.2016 के आलोक में राज्य के दोनों कृषि विश्वविद्यालयों के शिक्षकों /वैज्ञानिकों को देय भुगतान हेतु राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर के लिए ₹2,24,75,178 (दो करोड़ चौबीस लाख पचहत्तर हजार एक सौ अठहत्तर रू०) एवं बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर के लिए ₹ 2,20,04,351 (दो करोड़ बीस लाख चार हजार तीन सौ एकावन रू०) कुल ₹4,44,79,529 (चार करोड़ चौवालीस लाख उनासी हजार पाँच सौ उनतीस रू०) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर के लिए ₹ 2,20,04,351 (दो करोड़ बीस लाख चार हजार तीन सौ एकावन रू०) मात्र की राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक स्वीकृत्यादेश संख्या–1632 दिनांक–28.03.2016 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा LPA No-1210/2013 एवं अन्य समविषयक LPA में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में निर्गत कृषि विभागीय संकल्प संख्या–416 दिनांक–27.01.2016 के आलोक में राज्य के दोनों कृषि विश्वविद्यालयों के शिक्षकों /वैज्ञानिकों को देय भुगतान हेतु राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर के लिए ₹2,24,75,178 (दो करोड़ चौबीस लाख पचहत्तर हजार एक सौ अठहत्तर रू०) एवं बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर के लिए ₹ 2,20,04,351 (दो करोड़ बीस लाख चार हजार तीन सौ एकावन रू०) कुल ₹4,44,79,529 (चार करोड़ चौवालीस लाख उनासी हजार पाँच सौ उनतीस रू०) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। इस स्वीकृत राशि के अंतर्गत व्यय हेतु बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर के लिए ₹ 2,20,04,351 (दो करोड़ बीस लाख चार हजार तीन सौ एकावन रू०) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹ 2,20,04,351 (दो करोड़ बीस लाख चार हजार तीन सौ एकावन रू०) मात्र की राशि का व्यय बजट शीर्ष–2415–कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा–उप मुख्यशीर्ष–01–फसल कृषि कर्म, लघुशीर्ष–277–शिक्षा–मांग सं०–01–उपशीर्ष–0008– बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को, विपत्र कोड–N2415012770008, के अंतर्गत् विषयशीर्ष–31 04–सहायक अनुदान वेतन मद में उपबंधित ₹1,08,02,23,000 (एक अरब आठ करोड़ दो लाख तेईस हजार रू०) मात्र से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक–2561 वि0 (2) दिनांक–17.04.98 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्त्तो/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरत बाद टी0 भी0 नं0 के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन,

(प्रभु राम)
निदेशक प्रशासन–सह–अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

D:\Aawantan\Awantan Letter\Rashmi dt-27.08.2015.doc

ज्ञापांक 288(आवंटन) /कृ0, पटना, दिनांक 30-03-2016

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रशासन–सह–अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार पटना।

ज्ञापांक 288(आवंटन) /कृ0, पटना, दिनांक 30-03-2016

प्रतिलिपि : कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग, बिहार, पटना/कुलपति बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/ नियंत्रक, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर, बिहार/संयुक्त कृषि निदेशक (योजना) कृषि विभाग, बिहार, पटना/उप कृषि निदेशक, (प्रसार)–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कृषि विभाग/कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/वित्त विभाग, (बजट–शाखा) बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–04 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप निदेशक, (शष्य), सूचना बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रशासन–सह–अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार,पटना।

D:\Aawantan\Awantan Letter\Rashmi dt-27.08.2015.doc

15